ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत उस्तेहड में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्रीमति रेणू देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

1	श्रीमति आशा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत उस्तेहड के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.12

2	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	29.04
3	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना ।	1.06
4	6.2	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
5	6.3	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
6	7	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	5.90
7	8	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर	0.03
8	9	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना ।	0.44

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क ₹5400/– की राशि ड्राफ्ट संख्या 126176 दिनांक 29.10.2018 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दी गई हैं। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है।
2	4	अनिर्णीत।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	5	अनिर्णीत ।
5	6	अनिर्णीत ।
6	7	निर्णीत । (पुनः प्रारूपित)

7	8	अनिर्णीत ।
8	9	निर्णीत, प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत पैरे का समायोजन कर दिया गया है
9	10	अनिर्णीत ।
10	11	अनिर्णीत ।
11	12	अनिर्णीत ।
12	13	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.08.2024 से 22.08.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	05/2022
2023–2024	06/2023	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगडा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334 दिनांक 22.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत उस्तेहड के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	388291.00	54542.00	20956.00	463789.00	89208.00	374581.00
2023–24	374581.00	96823.52	20568.00	491972.52	158989.00	332983.52

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत उस्तेहड के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	2565772.60	4493140.00	70052.00	7128964.60	3695681.90	3433282.70
2023–24	3433282.70	3001838.00	88842.00	6523962.70	3619701.00	2904261.70

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF, MMGPY

A/c No. 20012008190	**KCCB Nagrota Bagwan**	476375.02
A/c No. 2580000100024314	**PNB Samloti**	9432
A/c No. 25800000100078430	**PNB Samloti**	2607
A/c No. 110131872636	**Canera Bank Nagrota Bagwan**	149787
A/C No. 50100184089540	**HDFC Nagrota Bagwan**	510.6
A/C No. 5074101001813	**HDFC Nagrota Bagwan**	2609890.[illegible]

A/c No. 50100037359263	HDFC Nagrota Bagwan		138
cash in hand			268
		Total	3249008.42

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			332983.52
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS		45931.15
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		110178
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		-43160.85
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		502.6
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		2609900.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF		-460
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY		130533
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		50837
		Total	3237245.22
		diffrence	11763.2

ANNEXURE REPORT

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.12 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, राकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड बहियो के शेषों का बैंक खातो के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्व–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमो की रोकड बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹11,763/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 335 दिनांक 22.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 336 दिनांक 22.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्त्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹29.04 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹29,04,261.70 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. **पंचायत राजस्व ₹1.06 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत मे सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण वश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹100/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित/अधिरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का राजस्व सम्पत्ति कर ₹1,05,900/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	78000	64300	142300	40800	101500
2023–2024	101500	64300	165800	59900	105900

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नही है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे समय इस संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 337 दिनांक 22.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹1,05,900/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित नियम प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

ANNUAL REPORT

6.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹3,600/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसार ₹3,600/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

क्र0सं0	विवाह पंजी करण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि (₹)
1	01	विनय कुमार पुत्र श्री प्रितम चन्द	21.05.22	04.06.22	200	0	200

2	02	सचिन कुमार पुत्र श्री बृज लाल	21.04.22	04.06.22	400	0	400
3	03	सचिन चौधरी पुत्र श्री अजीत कुमार	16.02.22	18.06.22	400	0	400
4	04	संजय कुमार पुत्र श्री शेर सिंह	06.06.22	22.07.22	400	0	400
5	05	पंकज कुमार पुत्र श्री सुरिन्द्र कुमार	21.06.22	01.08.22	400	0	400
6	06	सचिन कुमार पुत्र श्री मंगत राम	03.07.22	08.08.22	400	0	400
7	07	पंकज कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार	14.08.22	30.08.22	200	0	200
8	08	नानक चन्द पुत्र श्री किशोरी लाल	26.09.22	12.11.22	400	0	400
9	11	रजत कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार	26.01.23	20.02.23	200	0	200
10	12	संदीप कुमार पुत्र श्रीचन्द	24.09.23	31.10.23	400	0	400

11	15	दिनेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश	22.10.23	19.12.23	400	200	200
							₹3600

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 338 दिनांक 22.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

ANNUAL REPORT

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹1,200/— को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070—60—108—01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 व 2023—24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1,200/—** प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :—

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022—23	400.00
2	2023—24	800.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339 दिनांक 22.08.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

ANNUAL REPORT

7. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹5.90 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹5,90,264/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं

निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 340 दिनांक 22.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा सूचित किया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है व भविष्य मे रॉयल्टी काट कर ही भुगतान किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

ANNUAL REPORT

8. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹0.03 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP)/E-Gram Swaraj मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई है तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 भी कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न होने के कारण ₹3,100.90 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2024 को प्रिया सार्फटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	3234144.32
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	3237245.22
अन्तर	₹	3100.90

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 341 दिनांक 22.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 33 दिनांक 02.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट वाधित होने व गलत प्रविष्टि होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

9. प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.44 लाख का अधिक व्यय करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24 में विभिन्न शीर्षों में अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि से ₹43,620.85 की अधिक राशि खर्च की गई थी। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक खर्च किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

वर्ष	शीर्ष का नाम	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
2022–23	VKVNY	100000	40000	183160.85	43160.85
2023–24	SDRF	100353	196000	296813.00	460.00

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम

34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

12. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

13. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

07 NOV 2024 का0/प्र0

5291 – 5295

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)191/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत उस्तेहड, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रे0

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Ustehar" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	90000	0	0	90000	44068.85	45931.15
2	5 SFC	41906	321200	0	363106	320750	42356
3	VKVNY	100000	40000	0	140000	183160.85	-43160.85
4	14TH FC	391455.6	0	4445	395900.6	395398	502.6
5	15TH FC	1833773	1367933	65607	3267313	156882.2	3110430.8
6	SDRF	0	200000	0	200000	99647	100353
7	MMGPY	107207	40000	0	147207	16674	130533
8	SDP	1431	59992	0	61423	15086	46337
9	MNREGA	0	2464015	0	2464015	2464015	0
	Total Rs.	2565772.6	4493140	70052	7128964.6	3695681.9	3433282.7

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Ustehar" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	45931.15	0	0	45931.15	0	45931.15
2	5 SFC	42356	425212	0	467568	357390	110178
3	VKVNY	-43160.85	0	0	-43160.85	0	-43160.85
4	14TH FC	502.6	0	0	502.6	0	502.6
5	15TH FC	3110430.8	252287	88842	3451559.8	841659	2609900.8
6	SDRF	100353	196000	0	296353	296813	-460
7	MMGPY	130533	0	0	130533	0	130533
8	SDP	46337	4500	0	50837	0	50837
9	MNREGA	0	2123839	0	2123839	2123839	0
	Total Rs.	3433282.7	3001838	88842	6523962.7	3619701	2904261.7

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF, MMGPY

A/c No. 20012008190	KCCB Nagrota Bagwan	476375.02
A/c No. 2580000100024314	PNB Samloti	9432
A/c No. 25800000100078430	PNB Samloti	2607
A/c No. 110131872636	Canera Bank Nagrota Bagwan	149787
A/C No. 50100184089540	HDFC Nagrota Bagwan	510.6
A/C No. 5074101001813	HDFC Nagrota Bagwan	2609890.8
A/c No. 50100037359263	HDFC Nagrota Bagwan	138
cash in hand		268
	Total	3249008.42

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		332983.52
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	45931.15
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	110178
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	-43160.85
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	502.6
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	2609900.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	-460
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	130533
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	50837
	Total	3237245.22
	diffrence	-11763.2

Checked

प्रधान सचिव

ग्राम पंचायत उस्तेहड़

वि०ख० नगरोटा बगवाँ, कांगड़ा, हि०प्र०

Financial Position of Own sources in r/o GP Ustehar

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	388291	54542	20956	463789	89208	374581
2023-24	374581	96823.52	20568	491972.52	158989	332983.52

checked

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत उस्तेहड़
वि०ख०. नगरोटा बगवां, कांगड़ा, हि०प्र०

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 2.2 संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Utehar Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	78000	64300	142300	40800	101500
2023-24	101500	64300	165800	59900	105900
	Rs. 100/- per annum				

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत उटेहर

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

Ustehar 2022-23

Sr No.	Name Of Work	Head	Vendor	Bill No.	Bill Date	Payment Date	Sand(CFT)	Bajri(CFT)		Amount
1	नि बाढ़ नियत्रण कार्य लिंक रोड के साथ भनियारी बस्ती किशन चंद की घराल के पास (1304009447/FP/8000088038)	MNREGA	Saini Bros Kawari	304	17-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
2	नि बाढ़ नियत्रण कार्य भूमि विकास कार्य नजदीक माता मंदिर कालीजन (1304009447/FP/8000088039)	MNREGA	Saini Bros Kawari	303	16-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
3	नि बाढ़ नियत्रण कार्य लिंक रोड के पास SC बस्ती उस्तेहड़ (1304009447/FP/8000088041)	MNREGA	Saini Bros Kawari	305	16-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
4	C/o bhumi Sarkshan Karya Samudayik Bhavan Haldwadi (1304009447/FP/8000088392)	MNREGA	Saini Bros Kawari	307	17-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
5	C/o Surksha Deewar Bhumi katav rokne hetu Vipan Kumar s/o Partap chand (1304009447/IF/32229642)	MNREGA	Saini Bros Kawari	286	28-01-2022	25-05-2022	95	180		11344
6	C/o Surksha Deewar Bhumi Katav Rokne hetu Dev Raj s/o Parma Ram (1304009447/IF/32232749)	MNREGA	Saini Bros Kawari	287	29-01-2022	25-05-2022	95	180		11344
7	C/o Surksha Deewar Bhumi Katav Rokne Hetu Sawroop Chand s/o Lachman Dass (1304009447/IF/32232767)	MNREGA	Saini Bros Kawari	288	29-01-2022	25-05-2022	95	180		11344
8	C/o Surksha Deewar Bhumi Katav rokne hetu Amarnath S/o Dassa Ram (1304009447/IF/32232803)	MNREGA	Saini Bros Kawari	285	28-01-2022	25-05-2022	95	180		11344
9	C/o Link Road Mast Ram ke Gher se Jagat Ram ke Gher ki Tarf (1304009447/RC/8000120464)	MNREGA	Saini Bros Kawari	301	15-02-2022	25-05-2022	400	400		33516

Panchayat Secretary
Gram Panchayat ...
Development Block
... Distt. Mandi

10	नि लिंक रोड कृषि कार्यो के लिए हैंडपंप से धारडू की तरफ (1304009447/RC/8000124398)	MNREGA	Saini Bros Kawari	308	19-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
28	C/o Link Road Shamshanghat Ghoda Tak (1304009447/RC/8000131326)	MNREGA	Saini Bros Kawari	306	16-02-2022	25-05-2022	400	400		33512
11	C/o Ambulance Road Sadak se Kaseri Lal SC Basti Ludrat (1304009447/RC/8000131327)	MNREGA	Saini Bros Kawari	302	15-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
12	नि गंदे पानी कि निकासी हेतु नालिया व् सोक पिट रूप चंद के घर के पास (1304009447/RS/32066652)	MNREGA	Saini Bros Kawari	309	20-02-2022	25-05-2022	400	400		33516
					Total		3980	3920		

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Ustehar
Development Block N/B
Distt. Sirmaur

20

USTEHAR 2023-24

Sr No	Name Of Work	Head	Vendor Name	Bill No.	Bill Date	Date Of Payment	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder	Amount
1	निर्माण भूसरक्षण कार्य मेहर चंद की ज़मीन से लेकर सरनु की ज़मीन में (1304009447/FP/8000108363)	MNREGA	SAINI Bros Kawari	61	16-05-2023	29-02-2024	425	799		47736
2	निर्माण भूसरक्षण कार्य मेहर चंद की ज़मीन से लेकर सरनु की ज़मीन में (1304009447/FP/8000108363)	MNREGA	SAINI Bros Kawari	62	16-05-2023	29-02-2024	155			6400
3	निर्माण भूसरक्षण कार्य अश्वनी देश राज नीलम कुमार की ज़मीन में (1304009447/FP/8000108368)	MNREGA	SAINI Bros Kawari	50	16-05-2023	29-02-2024	425	699		43995.03
4	निर्माण भूसरक्षण कार्य अश्वनी देश राज नीलम कुमार की ज़मीन में (1304009447/FP/8000108368)	MNREGA	SAINI Bros Kawari	51	16-05-2023	29-02-2024	215			8690.49
5	C/o Ambulance Road Kalyan Gohar se M	MNREGA	SAINI Bros Kawari	57	16-05-2023	29-02-2024	494	664		45598.6
6		MNREGA	SAINI Bros Kawari	58	16-05-2023	29-02-2024	70			2900
7		MNREGA	SAINI Bros Kawari	55	16-05-2023	29-02-2024	280	500		30465.49
8	निर्माण L/R अजय कुमार के घर से राम कृषण	MNREGA	SAINI Bros Kawari	59	16-05-2023	29-02-2024	346	670		39611.88
9		MNREGA	SAINI Bros Kawari	60	16-05-2023	29-02-2024	234			9680
10	Nirman Rasta Sadek Se Sita Ram ke ghar	MNREGA	SAINI Bros Kawari	53	16-05-2023	29-02-2024	195			8170.5
					Total		2839	3332		

₹ 590263.99
say ₹ 590264/-

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Ustehar
Development Block NTB
... Distt. ...

21